

**ग्राम पंचायत बड़ीधार, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी के लेखाओं का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.21 से 31.03.23**

भाग- एक

1 (क) प्रस्तावना :-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग, को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत बड़ीधार, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी के अवधि 01.04.21 से 31.03.23 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान / सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान :-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्री यादविन्दर कुमार	01.04.2021 से लगातार

सचिव :-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्री कमरुनाग	01-04-2021 से 16-08-21
2	श्री पवन कुमार	17-08-2021 से 07-02-2022
3	श्रीमती राजकुमारी	07-02-2022 से 31-03-2023

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत बड़ीधार के लेखाओं अवधि 01-04-2021 से 31-03-2023 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करने के कारण रोकड़ बही व बैंक खाते में अन्तर बारे	0.50
2	5(ख)	अनुदान राशि का उपयोग न करना	43.76
3	6(क)	आपूर्तिकर्ता/सप्लायर बिल से रॉयल्टी की कटौती कम करने के कारण अधिक भुगतान करना	0.44
4	6(ख)	क्रय की गई सामग्री से नियमानुसार वाइडस (voids) की कटौती न करने के कारण संविदाकारों को अधिक भुगतान करना	0.47
5	6(ग)	स्त्रोत पर आयकर की कटौती न करके वसूली न करना	0.04
6	7(क)	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना	0.42
7	7(ग)	पंचायत सदस्यों को मानदेय के रूप में अधिक भुगतान	0.04

भाग- दो

2 (क) वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत बड़ीधार, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी के अवधि 01.04.21 से 31.03.23 तक के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण श्री दलजीत कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 07-11-2023 से 22-11-2023 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2021-22	09/21	03/22
2022-23	10/22	05/22

(ख) अस्वीकरण :- इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। विभाग का उत्तरदायित्व केवल चयनित माह तक ही सीमित रहेगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत बड़ीधार, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी के अवधि 01.04.21 से 31.03.23 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹5600/- आँका गया है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अध्याचना संख्या डी.के/एम.ए.एन.डी.आई/एस.ए.डी./2023-134 दिनांक 22.11.2023 द्वारा अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थिति :-

ग्राम पंचायत बड़ीधार द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.21 से 31.03.23 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(i) स्वः स्रोत व अन्य अनुदान:- ग्राम पंचायत बड़ीधार के अवधि 01.04.21 से 31.03.23 तक की स्वः स्रोत व अनुदानों की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (क)** में संलग्न है

वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2021-22	7588762	1166873	8755635	4623498	4132137
2022-23	4132137	1210855	5342992	2496664	2846328

दिनांक 31.03.23 को सामान्य निधि व अनुदान का अन्तशेष **2846328**

दिनांक 31.03.23 को बैंक में जमा व हस्तगत राशि का विवरण :-

Bank name	Account no.	Name of head	Closing balance as on 31.03.2023
H.P State cooperative bank,kunnu	34110101004	Own source & 5 th state	1461898.75

H.P State cooperative bank,kunnu	34110104133	MPLAD,VKVNY,BASP	1119500.25
H.P State cooperative bank,kunnu	34110108910	14 TH FC	13073
H.P State cooperative bank,kunnu	34110109313	SBM	2762
			2597234
Bank Reconciliation as on 31-03-23			
Balance as per cash book		2846328	
less : expenditure of Rs 199500 taken in pass book on dated 27.09.2021 from account no. 34110108910 but not taken in cash book		199500	2646828
Balance as per Pass book			2597234
Net Difference			49594

(ii) 15 वाँ वित्त आयोग:- ग्राम पंचायत बड़ीधार के अवधि 01.04.21 से 31.03.23 तक की 15 वाँ वित्त आयोग की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण परिशिष्ट (ख) में संलग्न है :-

वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2021-22	822445	870149	1692594	0	1692594
2022-23	1692594	1482531	3175125		1529420

1645705

बैंक समाधान विवरणी :-

Bank Reconciliation as on 31 03-23		
Balance as per cash book	1529420	
Add:- interest of Rs 24308 taken in pass book on dated 01.04.22 but not taken cash book	24308	
Add:- income of Rs 20000 taken in pass book on dated	20000	

02.06.22 but not taken cash book		
add:- interest of Rs 24241 taken in pass book on dated 30.09.22 but not taken pass book	24241	1597969
Balance as per Pass book		1597969
Net Difference		nill

(iv) मनरेगा

वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2021-22	0	3966558.2	0	3966558.2	3966558.2	0
2022-23	0	5264834.91	0	5264834.91	5264834.91	0

4.1 रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार-मिलान न करना जिसके फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खाते में ₹0.50 लाख का अन्तर पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है। जबकि पंचायत की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31.03.23 को रोकड़ बही में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार रोकड़ बही एवं बैंक के अन्तिम शेष में **₹49594/-** की राशि का अन्तर पाया गया। अतः मिलान करके अनुपालना से अंकेक्षण के दौरान अवगत कराया जाये।

5 (क) पंचायत के स्वः स्त्रोतों की आय के लिये अलग बैंक खाते का संचालन न करना:-

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1 व 2) में पंचायत द्वारा दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है, जिसमें से खाता "क" में पंचायत के स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता "ख" में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है परन्तु ग्राम पंचायत बड़ीधार के लेखाओं की अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के संचालन हेतु 5 बैंक खाते खोले गये थे और उपरोक्त नियम की अनुपालना में पंचायत के स्वः स्त्रोतों की आय हेतु खाता "क" का संचालन अलग से नहीं किया जा रहा था। अतः इस सन्दर्भ में उपयुक्त स्पष्टीकरण के अतिरिक्त उचित

सुधारात्मक कार्यवाही नियमानुसार करते हुये अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाये।

(ख) अनुदान ₹43.76 लाख का उपयोग न करना :-

सचिव ग्राम पंचायत बड़ीधार द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई अनुदानों से सम्बन्धित अभिलेख/सूचनाओं के अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.23 तक अनुदान ₹43,75,748 की राशि उपयोग हेतु शेष थी जिसका विवरण पैरा संख्या 4(i), 4(ii) में दिया गया है जो कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 की अवहेलना है। अतः वर्णित अनुपयुक्त अनुदान राशियों को यथाशीघ्र निर्धारित उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) अनुदान रजिस्टर का उचित अनुरक्षण व अद्यतन न करना :-

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के दौरान अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन नहीं किया गया था जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 31 की अवहेलना की गयी है।

अतः इस सम्बन्ध में वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6. (क) आपूर्तिकर्ता/सप्लायर बिल से रॉयल्टी की कटौती न करने के कारण ₹0.44 लाख का अधिक भुगतान करना:-

हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्री विभाग की अधिसूचना संख्या: Ind-II(f)/6-14/2014-Vol-I दिनांक 10.02.2022 के अनुसार खनन सामग्री जैसे रेत/बजरी/पत्थर इत्यादि पर सरकार को रॉयल्टी का भुगतान किया जाना अपेक्षित था। विकास/निर्माण कार्य पर उपयोग की जाने वाली सामग्री (रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि) के लिए सप्लायर/आपूर्तिकर्ता माईनिंग अधिकारी से अनिवार्य रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा यदि वह प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करता है तो ग्राम पंचायत द्वारा बिल की अदायगी करते समय रॉयल्टी की कटौती करके राशि को राजकीय कोष के शीर्ष 0853-102-01-05 में जमा किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान विभिन्न निर्माण कार्य बिलों की जाँच में पाया गया कि कार्य स्थलों पर रेत, बजरी, पत्थर का उपयोग

किया गया था परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा सप्लायर के बिल से न तो रॉयल्टी की कटौती की गई थी और न ही अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया था जिस कारण निम्न विवरणानुसार आपूर्तिकर्ता व्यक्ति/संविदाकार को ₹43880 का अधिक भुगतान किया गया था । जिसका विवरण **परिशिष्ट (घ)** में संलग्न है । उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या:- डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2023-136 दिनांक 22.11.23 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत बड़ीधार के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि रॉयल्टी के रूप में कम वसूल राशि को वसूल कर के सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा । अतः परामर्श दिया जाता है कि रॉयल्टी की कम वसूली गयी राशि को उचित स्रोत से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ख) क्रय की गई सामग्री से नियमानुसार वाइड्स (voids) की कटौती न करने के कारण संविदाकारों को ₹0.47 लाख का अधिक भुगतान करना:-

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यो हेतु क्रय की गई सामग्री पर निर्धारित दर से वाइड्स की कटौती नहीं की गई थी जबकि नियमानुसार रेत की आपूर्ति पर 5% बजरी की आपूर्ति पर 10 एमएम से लेकर 20 एमएम तक 5% तथा 20 एमएम से लेकर 40 एमएम तक 10% और पत्थरों की आपूर्ति पर 12.5% की दर से वाइड्स की कटौती की जानी अपेक्षित थी परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा क्रय सामग्री पर इस प्रकार की कोई भी कटौती नहीं की गई थी, जिस कारण आपूर्तिकर्ता व्यक्ति/फर्म/संविदाकार को निम्न विवरणानुसार ₹46490 का अधिक भुगतान किया गया था । जिसका विवरण **परिशिष्ट (ड)** में संलग्न है । उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या: डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2023 -142 दिनांक 22.11.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत बड़ीधार के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि वाइड्स के रूप में कटौती नहीं की गयी, राशि को वसूल कर के निधि में जमा करवा दिया जाएगा । अतः वाइड्स की कटौती/वसूली न करने का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा राशि की वसूली उचित स्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ग) स्रोत पर आयकर की कटौती न करके ₹0.04 लाख की वसूली न करना :-

सचिव ग्राम पंचायत बड़ीधार द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना व व्यय की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित विवरण अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 में

विभिन्न फर्मों व व्यक्तियों को भुगतान किया गया था । लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹4069.50 की स्त्रोत पर कर की कटौती नहीं की गई थी । आयकर की धारा 194 (c) में विहित प्रावधान के अनुसार स्त्रोत पर कर की कटौती करना अपेक्षित था । जिसका विवरण **परिशिष्ट (च)** में संलग्न है। उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या:-डी.के/एम.ए.एन.डी.आई/एस.ए.डी./2023-137 दिनांक 22.11.23 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत बड़ीधार के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि आयकर के रूप में कम वसूल राशि को वसूल कर के सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा । अतः स्त्रोत पर आयकर की कटौती/वसूली न करने का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण में अवगत करवाया जाए ।

(घ) वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान मनरेगा शीर्ष के अन्तर्गत करवाए गए निर्माण कार्यों में निर्धारित सीमा से मजदूरी पर राशि ₹05.68 लाख कम व सामान पर राशि ₹ 05.68 लाख ज्यादा व्यय करना :-

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) 2005, के नियम 1.2 के अनुसार मजदूरी व सामान पर 60:40 के अनुपात में व्यय किया जाएगा । अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान मनरेगा शीर्ष के अन्तर्गत सामान/निर्माण सामग्री पर व्यय योग्य राशि ₹36.92 लाख की जगह ₹31.24 लाख व्यय करके, अपेक्षित व्यय योग्य राशि से ₹05.68 लाख कम व्यय व मजदूरी पर व्यय योग्य राशि ₹55.37 लाख की जगह ₹61.05 लाख व्यय करके, अपेक्षित व्यय योग्य राशि से ₹05.68 लाख ज्यादा व्यय किया गया । जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	कुल व्यय	मजदूरी पर व्यय	मजदूरी पर व्यय योग्य राशि (कुल व्यय का @ 60%)	सामान पर व्यय	सामान पर व्यय योग्य राशि (कुल व्यय का @ 40%)
	(लाखों में)	(लाखों में)	(लाखों में)	(लाखों में)	(लाखों में)
2021-22	39.66	31.66	23.79	7.99	15.86
2022-23	52.64	29.39	31.58	23.25	21.06
कुल आय	92.30	61.05	55.37	31.24	36.92

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2023-138 दिनांक 22.11.23 को अंकेक्षण के दौरान ही सचिव ग्राम पंचायत बड़ीधार के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि निर्धारित सीमा से अधिक किये गए व्यय को निर्धारित सीमा के अंतर्गत ही व्यय किया जाएगा । अतः वितीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) 2005, के नियम 1.2 के अनुसार मजदूरी व सामान पर 60:40 के अनुपात में व्यय न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सामान पर निर्धारित सीमा से राशि ₹05.68 कम व मजदूरी पर निर्धारित सीमा से राशि ₹05.68 लाख ज्यादा व्यय करने हेतु सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृत प्राप्त करके अनियमित व्यय को नियमित करवाया जाए । अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

7. (क) नियमानुसार विहित औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹0.42 लाख का निर्माण सामग्री का क्रय करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं । परन्तु अंकेक्षण के दौरान व्यय वाउचरों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि अनुसार पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 व 2022-23 में ₹41714 की निर्माण से सम्बन्धित सामग्री का क्रय नियमानुसार निविदा/कोटेशन सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जोकि गम्भीर अनियमितता है जिसके अभाव में यह ज्ञात करना सम्भव नहीं है कि उक्त वर्ष में विभिन्न सामग्री की क्रय दर कितनी थी तथा जिस मूल्य पर खरीद की गयी थी उसके संबंध में उचित अभिलेख न होने के कारण निम्न विवरणानुसार क्रय की गयी सामग्री पर किए गए व्यय को उचित नहीं ठहराया जा सकता है जोकि पंचायत निधि के धन के दुरुपयोग को भी दर्शाता है, जिसका विवरण इस प्रकार से है :-

क्रम संख्या	बिल संख्या/दिनांक	आपूर्तिकर्ता	मद का नाम	भुगतान राशि (₹)
1	919/08.01.2022	चतुर्भुज ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस नजदीक एसबीआई बैंक पथर, तहसील पथर, जिला मण्डी	स्टेशनरी आइटम	5000

2	776/10.03.2022	चतुर्भुज ऑफसेट प्रिंटिंग प्रैस नजदीक एसबीआई बैंक पथर, तहसील पथर, जिला मण्डी	स्टेशनरी आइटम	5024
3	033/15.03.22	मेहता इलेक्ट्रिकल वर्क घोघर धार रोड, पथर जिला मण्डी	हीटर पिल्लर	3690
4	323/10.12.21	ठाकुर एल्युमिनियम वर्क & वूडेन फ़र्निचर इंडस्ट्री & सरकारी ठेकेदार पथर, जिला मण्डी	एल्युमिनियम दरवाजा व फ्रेम	16000
5	2216/08.09.22	चतुर्भुज ऑफसेट प्रिंटिंग प्रैस नजदीक एसबीआई बैंक पथर, तहसील पथर जिला मण्डी	स्टेशनरी आइटम	5000
6	1404/07.09.22	एम/एस इन्फोटेक सिस्टम सोल्यूशंस	प्रिंटर कार्टेज	3500
7	1405/07.09.22	एम/एस इन्फोटेक सिस्टम सोल्यूशंस	कम्प्युटर आइटम	3500
			योग	41714

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2023-140 दिनांक 22.11.23 को अंकेक्षण के दौरान ही सचिव ग्राम पंचायत बड़ीधार के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को दोहराया नहीं जाएगा। उत्तर संतोषजनक नहीं था। अतः परामर्श दिया जाता है कि वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए वर्ष 2021-22 व 2022-23 में किए गए व्यय की उचित कार्यवाही करके जाँच की जाए तथा इसे उचित सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए व भविष्य में नियमानुसार सभी औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए वस्तुओं/सामग्री का क्रय करना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) आपूर्तिकर्ता से रेत व बजरी की खरीदी गयी मात्रा के स्पष्ट न होने के कारण ₹2.92 लाख का अंकेक्षण संभव न होना :-

ग्राम पंचायत बड़ीधार की अवधि 01-04-21 से 31-03-23 के अंकेक्षण के दौरान मनरेगा व 15वां वित्त आयोग के व्यय वाउचरों की जाँच में पाया गया कि आपूर्तिकर्ता द्वारा रेत व बजरी के ₹292050 के प्रस्तुत बिल में रेत व बजरी की मात्रा को अलग-अलग न करके एक साथ जोड़ कर बिल प्रस्तुत किया गया था जबकि पंचायत के स्टॉक रजिस्टर में दर्ज प्रविष्टि की जाँच में भी उपरोक्त सामग्री को एक साथ ही लिया गया था तथा न ही कार्यों में प्रयोग होने वाली सामग्री का मांग पत्र प्रस्तुत किया गया। जिससे कि यह स्पष्ट करना संभव नहीं हो सका कि पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों के लिए कितनी रेत व बजरी की मात्रा जारी की गयी थी। जो की गम्भीर अनियमितता को दर्शाता है तथा मनरेगा व 15वां वित्त आयोग के दुरुपयोग की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता है। जिसका विवरण इस प्रकार से है :-

क्र० सं०	आपूर्तिकर्ता	बिल संख्या /दिनांक	मद का नाम	मात्रा CUF	भुगतान राशि
14वां वित्त आयोग					
1	ठाकुर एल्युमिनियम वर्क & वूडेन फ़र्निचर इंडस्ट्री & सरकारी ठेकेदार पधर जिला मण्डी	314/23.10.21	रेत & बजरी	150	8850
2	ठाकुर एल्युमिनियम वर्क & वूडेन फ़र्निचर इंडस्ट्री & सरकारी ठेकेदार पधर जिला मण्डी	319/23.10.21	रेत & बजरी	50	8850
3	ठाकुर एल्युमिनियम वर्क & वूडेन फ़र्निचर इंडस्ट्री & सरकारी ठेकेदार पधर जिला मण्डी	315/15.02.22	रेत & बजरी	300	8850

4	ठाकुर एल्युमिनियम वर्क & वूडेन फ़र्निचर इंडस्ट्री & सरकारी ठेकेदार पधर जिला मण्डी	313/23.10.21	रेत & बजरी	600	8850
5	ठाकुर एल्युमिनियम वर्क & वूडेन फ़र्निचर इंडस्ट्री & सरकारी ठेकेदार पधर जिला मण्डी	010/12.11.22	रेत & बजरी	275	8850
6	ठाकुर एल्युमिनियम वर्क & वूडेन फ़र्निचर इंडस्ट्री & सरकारी ठेकेदार पधर जिला मण्डी	010/27.02.22	रेत & बजरी	150	8850
7	ठाकुर एल्युमिनियम वर्क & वूडेन फ़र्निचर इंडस्ट्री & सरकारी ठेकेदार पधर जिला मण्डी	017/27.02.22	रेत & बजरी	450	8850
8	ठाकुर एल्युमिनियम वर्क & वूडेन फ़र्निचर इंडस्ट्री & सरकारी ठेकेदार पधर जिला मण्डी	020/27.02.22	रेत & बजरी	150	8850
9	ठाकुर एल्युमिनियम वर्क & वूडेन फ़र्निचर इंडस्ट्री & सरकारी ठेकेदार पधर जिला मण्डी	011/27.02.22	रेत & बजरी	450	8850
10	ठाकुर एल्युमिनियम वर्क & वूडेन फ़र्निचर इंडस्ट्री & सरकारी ठेकेदार पधर जिला मण्डी	012/27.02.22	रेत & बजरी	450	8850

11	ठाकुर एल्युमिनियम वर्क & वूडेन फ़र्निचर इंडस्ट्री & सरकारी ठेकेदार पधर जिला मण्डी	009/27.02.22	रेत & बजरी	450	8850
12	ठाकुर एल्युमिनियम वर्क & वूडेन फ़र्निचर इंडस्ट्री & सरकारी ठेकेदार पधर जिला मण्डी	014/27.02.22	रेत & बजरी	450	8850
13	चित राम सरकारी ठेकेदार गाँव बह डाकघर पदवाहन तहसील पधर जिला मण्डी	583/22.06.21	रेत & बजरी	300	8850
14	ठाकुर एल्युमिनियम वर्क & वूडेन फ़र्निचर इंडस्ट्री & सरकारी ठेकेदार पधर जिला मण्डी	039/26.03.22	रेत & बजरी	450	8850
15	ठाकुर एल्युमिनियम वर्क & वूडेन फ़र्निचर इंडस्ट्री & सरकारी ठेकेदार पधर जिला मण्डी	040/26.03.22	रेत & बजरी	450	8850
16	ठाकुर एल्युमिनियम वर्क & वूडेन फ़र्निचर इंडस्ट्री & सरकारी ठेकेदार पधर जिला मण्डी	016/27.02.22	रेत & बजरी	900	8850
17	ठाकुर एल्युमिनियम वर्क & वूडेन फ़र्निचर इंडस्ट्री & सरकारी ठेकेदार पधर जिला मण्डी	005/27.02.22	रेत & बजरी	900	8850

18	ठाकुर एल्युमिनियम वर्क & वूडेन फ़र्निचर इंडस्ट्री & सरकारी ठेकेदार पधर जिला मण्डी	037/10.07.21	रेत & बजरी	150	8850
19	ठाकुर एल्युमिनियम वर्क & वूडेन फ़र्निचर इंडस्ट्री & सरकारी ठेकेदार पधर जिला मण्डी	004/27.02.22	रेत & बजरी	600	8850
20	ठाकुर एल्युमिनियम वर्क & वूडेन फ़र्निचर इंडस्ट्री & सरकारी ठेकेदार पधर जिला मण्डी	029/27.02.22	रेत & बजरी	600	8850
21	ठाकुर एल्युमिनियम वर्क & वूडेन फ़र्निचर इंडस्ट्री & सरकारी ठेकेदार पधर जिला मण्डी	002/27.02.22	रेत & बजरी	600	8850
22	ठाकुर एल्युमिनियम वर्क & वूडेन फ़र्निचर इंडस्ट्री & सरकारी ठेकेदार पधर जिला मण्डी	003/27.02.22	रेत & बजरी	150	8850
23	ठाकुर एल्युमिनियम वर्क & वूडेन फ़र्निचर इंडस्ट्री & सरकारी ठेकेदार पधर जिला मण्डी	019/27.02.22	रेत & बजरी	300	8850
24	ठाकुर एल्युमिनियम वर्क & वूडेन फ़र्निचर इंडस्ट्री & सरकारी ठेकेदार पधर जिला मण्डी	006/27.02.22	रेत & बजरी	300	8850

25	ठाकुर एल्युमिनियम वर्क & वूडेन फ़र्निचर इंडस्ट्री & सरकारी ठेकेदार पधर जिला मण्डी	008/27.02.22	रेत & बजरी	300	8850
26	ठाकुर एल्युमिनियम वर्क & वूडेन फ़र्निचर इंडस्ट्री & सरकारी ठेकेदार पधर जिला मण्डी	030/26.03.22	रेत & बजरी	300	8850
27	ठाकुर एल्युमिनियम वर्क & वूडेन फ़र्निचर इंडस्ट्री & सरकारी ठेकेदार पधर जिला मण्डी	052/25.04.22	रेत & बजरी	1016	8850
28	ठाकुर एल्युमिनियम वर्क & वूडेन फ़र्निचर इंडस्ट्री & सरकारी ठेकेदार पधर जिला मण्डी	056/25.04.22	रेत & बजरी	850	8850
29	ठाकुर एल्युमिनियम वर्क & वूडेन फ़र्निचर इंडस्ट्री & सरकारी ठेकेदार पधर जिला मण्डी	058/25.04.22	रेत & बजरी	150	8850
30	ठाकुर एल्युमिनियम वर्क & वूडेन फ़र्निचर इंडस्ट्री & सरकारी ठेकेदार पधर जिला मण्डी	061/04.05.22	रेत & बजरी	1330	8850
31	ठाकुर एल्युमिनियम वर्क & वूडेन फ़र्निचर इंडस्ट्री & सरकारी ठेकेदार पधर जिला मण्डी	045/21.04.22	रेत & बजरी	665	8850

32	ठाकुर एल्युमिनियम वर्क & वूडेन फ़र्निचर इंडस्ट्री & सरकारी ठेकेदार पधर जिला मण्डी	047/21.04.22	रेत & बजरी	380	8850
33	ठाकुर एल्युमिनियम वर्क & वूडेन फ़र्निचर इंडस्ट्री & सरकारी ठेकेदार पधर जिला मण्डी	049/21.04.22	रेत & बजरी	300	8850
					292050

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या: डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2023-139 दिनांक 22.11.23 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत बड़ीधार के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि बिल में रेत व बजरी की मात्रा को अलग नहीं दिखाया गया था जिसे ध्यान में रखा जाएगा व इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा । उत्तर संतोषजनक नहीं है अतः उपरोक्त अनियमितता का नियमानुसार औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा सामग्री जारी करने तथा उपयोग करने से संबंधित दस्तावेज़ प्रस्तुत कर के अनुपलना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ग) पंचायत सदस्यों को मानदेय के रूप में ₹0.04 लाख का अधिक भुगतान :-

हि0प्र0 पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 62(2) के अर्न्तगत ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को ग्राम पंचायत की सभा में उपस्थिति के अनुरूप मानदेय का भुगतान किया जाएगा तथा यदि कोई सदस्य सभा में उपस्थित नहीं होता है तो इस सभा के लिए मानदेय का भुगतान नहीं किया जाएगा । अंकेक्षण अवधि के दौरान निर्वाचित सदस्यों को दिए गए मानदेय भुगतान का ग्राम सभा के कार्यवाही रजिस्टर के साथ अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न प्रकरणों में निर्वाचित सदस्यों को **₹4250** के मानदेय का अधिक भुगतान किया गया था । जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम	वाउचर संख्या	मानदेय अवधि	भुगतान राशि	नियमानुसार भुगतान योग्य राशि	अंतर	विवरण
1	श्री जय राम	वाउचर संख्या 5THSFC/2021- 22/P/9	मई 2021 से अगस्त 2021 तक	2000	1500	500	मई 2021 में मासिक बैठक न होना
2	श्री चिन्त राम	वाउचर संख्या 5THSFC/2021- 22/P/9	मई 2021 से अगस्त 2021 तक	2000	1250	750	मई 2021 व अगस्त 2021 में एक मासिक बैठक न होना
3	श्री यादव सिंह	वाउचर संख्या 5THSFC/2021- 22/P/9	मई 2021 से अगस्त 2021 तक	2000	1500	500	मई 2021 में मासिक बैठक न होना
4	श्रीमती दुर्गा देवी	वाउचर संख्या 5THSFC/2021- 22/P/9	मई 2021 से अगस्त 2021 तक	2000	1250	750	मई 2021 व अगस्त 2021 में एक मासिक बैठक न होना
5	श्रीमती विमला देवी	वाउचर संख्या 5THSFC/2021- 22/P/9	मई 2021 से अगस्त 2021 तक	2000	1250	750	मई 2021 व अगस्त 2021 में एक

							मासिक बैठक न होना
6	श्रीमती सजु देवी	वाउचर संख्या 5THSFC/2021- 22/P/9	मई 2021 से अगस्त 2021 तक	2000	1500	500	मई 2021 में मासिक बैठक न होना
7	श्रीमती रेशमा देवी	वाउचर संख्या 5THSFC/2021- 22/P/9	मई 2021 से अगस्त 2021 तक	2000	1500	500	मई 2021 में मासिक बैठक न होना
कुल योग						4250	

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2023-141 दिनांक 22.11.23 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत बड़ीधार के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि कोरोना काल में संबन्धित सदस्यों ने आपदा के समय लोगो की सेवा की है जिसमें सरकार द्वारा किसी भी व्यक्ति का लाभ नहीं रोका है उत्तर संतोषजनक नहीं है। अतः बिना सभा में उपस्थिति के सदस्यों को दिए गए मानदेय के भुगतान करने का कारण स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9. (क) बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म -11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा में पारित करना अपेक्षित था। परन्तु जाँच के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार / अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित है। सचिव द्वारा निर्धारित फार्म -11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/ अनुमोदित न करने

के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म -11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा में पारित करना अपेक्षित था। परन्तु जाँच के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार / अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित है। सचिव द्वारा निर्धारित फार्म -11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/ अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

(ग) विहित रजिस्ट्रों/अभिलेख का अनुरक्षण न करना :-

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र. स.	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
5	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्ट्रों का नियमानुसार उचित तरीके से अनुरक्षण नहीं किया गया है।	25 व 26	72(1) (ए व बी)
6	स्टेशनरी रजिस्टर	28	72(1) (सी व डी)
7	रसीद बुक जारी करने का रजिस्टर	-----	31
8	बिल रजिस्टर	13	48

अतः नियमानुसार अभिलेखों व रजिस्ट्रों का रख-रखाव सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

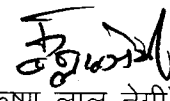
9. प्रत्यक्ष सत्यापन:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

10. लघु आपति विवरणिका:- यह अलग से जारी नहीं की गई है।

11. निष्कर्ष:- लेखों के रख-रखाव में सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

24 JAN 2024


(कृष्ण लाल नेगी) 23/01/24
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला-171009

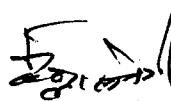
544-548

का.प्र.जति

पृष्ठांकन संख्या:- फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(11) 145/2024 खण्ड-1 दिनांक शिमला-09
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्यवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
- 2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला-4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
- 3 जिला पंचायत अधिकारी मण्डी, जिला मण्डी, हि0प्र0।
- 4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी, हि0प्र0।
- पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत बड़ीधार, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी, हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्यवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

24 JAN 2024


(कृष्ण लाल नेगी) 23/01/24
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला-171009

का.प्र.जति

4/2/2023 - 6/3/23

Financial position of Own Sources & other grants of Gram Panchyat badidhar				
Year	Opening Balance	Income	Total	Closing balance
2021-22	7588762	1166873	8755635	4132137
2022-23	4132137	1210855	5342992	2846328

Bank Reconciliation as on 31 03-23			
Balance as per cash book	2846328		
less : expenditure of Rs 199500 taken in pass book on dated 27.09.2021 from account no. 34110108910 but not taken in cash book	199500	2646828	
Balance as per Pass book		2597234	
Net Difference		49594	

Spec
Gram Panchyat Baridhar
Dev. Block Drang
Distt Mandi (H.P.)

4/2/2020 - 27

17

Financial position of 15 th FC of Gram Panchyat baridhar

Year	Opening Balance	Income	Total	Expenditure	Closing balance
2021-22	822445	870149	1692594	0	1692594
2022-23	1692594	1482531	3175125	1645705	1529420

Bank Reconciliation as on 31 03-23

Balance as per cash book	1529420		
Add:- interest of Rs 24308 taken in pass book on dated 01.04.22 but not taken cash book	24308		
Add:- income of Rs 20000 taken in pass book on dated 02.06.22 but not taken cash book	20000		
add:- interest of Rs 24241 taken in pass book on dated 30.09.22 but not taken pass book	24241	1597969	
Balance as per Pass book	1597969		
Net Difference	nil		

Sec.
Gram Panchyat Baridhar
Dev. Block Dargah
Distt Mandi (T.N.S.)

1000
1000

4R/2108- 'A'

Detail of House Tax wef 01.04.21 to 21.03.2023 of GP Baridhar lot:-

Year	Opening balance	Current demand	Balance	Received	Closing balance
2021-22	0	29250	29250	29250	0
2022-23	0	29250	29250	29250	0

Sec.
Gram Panchyat Baridhar
Dev. Block Drang
Distt Mandi (H.P.)

परिशिष्ट - "घ"

Detail of Royalty ⇒

क्र० सं०	आपूर्तिकर्ता	बिल संख्या / दिनांक	मद का नाम	मुग्तान राशि	मात्रा CFT	मात्रा CUM	निष्पत्ति फैक्टर	मात्रा प्रति मीट्रिक टन	रायल्टी प्रति मीट्रिक टन	राशि
14वां वित्त आयोग										
1	ठाकुर एल्युमिनियम वर्क & वूडेन फ़र्निचर इंडस्ट्री & सरकारी ठेकेदार पधर जिला मण्डी	307/15.10.21	रेत	8850	150	4.25	1.62	6.88	60	413
2	ठाकुर एल्युमिनियम वर्क & वूडेन फ़र्निचर इंडस्ट्री & सरकारी ठेकेदार पधर जिला मण्डी	307/15.10.21	बजरी	5900	100	2.83	1.52	4.30	60	258
3	ठाकुर एल्युमिनियम वर्क & वूडेन फ़र्निचर इंडस्ट्री & सरकारी ठेकेदार पधर जिला मण्डी	302/01.08.21	रेत	3750	150	4.25	1.62	6.88	60	413
4	ठाकुर एल्युमिनियम वर्क & वूडेन फ़र्निचर इंडस्ट्री & सरकारी ठेकेदार पधर जिला मण्डी	302/01.08.21	बजरी	5900	100	2.83	1.52	4.30	60	258
5	ठाकुर एल्युमिनियम वर्क & वूडेन फ़र्निचर इंडस्ट्री & सरकारी ठेकेदार पधर जिला मण्डी	302/01.08.21	रेत	8850	150	4.25	1.62	6.88	60	413
6	ठाकुर एल्युमिनियम वर्क & वूडेन फ़र्निचर इंडस्ट्री & सरकारी ठेकेदार पधर जिला मण्डी	314/23.10.21	ईट	5500	0	0.00	0	500.00	0.05	25
7	ठाकुर एल्युमिनियम वर्क & वूडेन फ़र्निचर इंडस्ट्री & सरकारी ठेकेदार पधर जिला मण्डी	352/20.02.22	रेत	22500	300	8.49	1.62	13.75	80	1100
8	ठाकुर एल्युमिनियम वर्क & वूडेन फ़र्निचर इंडस्ट्री & सरकारी ठेकेदार पधर जिला मण्डी	353/05.03.2022	ईट	40150	0	0.00	0	3650.00	0.05	183
9	ठाकुर एल्युमिनियम वर्क & वूडेन फ़र्निचर इंडस्ट्री & सरकारी ठेकेदार पधर जिला मण्डी	322/20.01.22	रेत	15000	200	5.66	1.62	9.17	60	550
10	ठाकुर एल्युमिनियम वर्क & वूडेन फ़र्निचर इंडस्ट्री & सरकारी ठेकेदार पधर जिला मण्डी	317/23.10.21	बोल्डर	39000	0	26.00	2.24	58.24	60	3494
मनरेगा										
11	ठाकुर एल्युमिनियम वर्क & वूडेन फ़र्निचर इंडस्ट्री & सरकारी ठेकेदार पधर जिला मण्डी	025/27.02.22	बोल्डर	64500	0	43.00	2.24	96.32	80	7706
12	ठाकुर एल्युमिनियम वर्क & वूडेन फ़र्निचर इंडस्ट्री & सरकारी ठेकेदार पधर जिला मण्डी	023/27.02.22	बोल्डर	69000	0	46.00	2.24	103.04	80	8243
13	ठाकुर एल्युमिनियम वर्क & वूडेन फ़र्निचर इंडस्ट्री & सरकारी ठेकेदार पधर जिला मण्डी	026/27.02.22	बोल्डर	33000	0	22.00	2.24	49.28	80	3942
14	ठाकुर एल्युमिनियम वर्क & वूडेन फ़र्निचर इंडस्ट्री & सरकारी ठेकेदार पधर जिला मण्डी	027/27.02.22	बोल्डर	27000	0	18.00	2.24	40.32	80	3226
15	ठाकुर एल्युमिनियम वर्क & वूडेन फ़र्निचर इंडस्ट्री & सरकारी ठेकेदार पधर जिला मण्डी	042/26.03.22	रेत	26550	450	12.74	1.62	20.63	80	1650
16	ठाकुर एल्युमिनियम वर्क & वूडेन फ़र्निचर इंडस्ट्री & सरकारी ठेकेदार पधर जिला मण्डी	043/26.03.22	बोल्डर	22500	0	15.00	2.24	33.60	80	2688
17	ठाकुर एल्युमिनियम वर्क & वूडेन फ़र्निचर इंडस्ट्री & सरकारी ठेकेदार पधर जिला मण्डी	053/25.04.22	बोल्डर	30000	0	20.00	2.24	44.80	80	3584
18	ठाकुर एल्युमिनियम वर्क & वूडेन फ़र्निचर इंडस्ट्री & सरकारी ठेकेदार पधर जिला मण्डी	055/25.04.22	बोल्डर	48000	0	32.00	2.24	71.68	80	5734
कुल योग										43880

24

voids Deduction For The period 04/2020 to 03/2022 of Gp Chowk

क्र० सं०	आपूर्तिकर्ता	बिल संख्या /दिनांक	मद का नाम	मुमतान राशि	मात्रा Cuf	मात्रा CUM	वाइड्स कटौती की दर	वाइड्स की मात्रा जिसका मुगतान किया गया	दर प्रति क्यूबिक मिटर	राशि
14वां वित्त आयोग										
1	ठाकुर एल्युमिनियम वर्क & वूडेन फर्निचर इंडस्ट्री & सरकारी ठेकेदार पथर जिला मण्डी	307/15.10.21	रेत	8850	150	4.25	5%	0.212	2085	443
2	ठाकुर एल्युमिनियम वर्क & वूडेन फर्निचर इंडस्ट्री & सरकारी ठेकेदार पथर जिला मण्डी	307/15.10.21	बजरी	5900	100	2.83	5%	0.142	2085	295
3	ठाकुर एल्युमिनियम वर्क & वूडेन फर्निचर इंडस्ट्री & सरकारी ठेकेदार पथर जिला मण्डी	302/01.08.21	रेत	3750	150	4.25	5%	0.212	883	188
4	ठाकुर एल्युमिनियम वर्क & वूडेन फर्निचर इंडस्ट्री & सरकारी ठेकेदार पथर जिला मण्डी	302/01.08.21	बजरी	5900	100	2.83	5%	0.142	2085	295
5	ठाकुर एल्युमिनियम वर्क & वूडेन फर्निचर इंडस्ट्री & सरकारी ठेकेदार पथर जिला मण्डी	302/01.08.21	रेत	8850	150	4.25	5%	0.212	2085	443
6	ठाकुर एल्युमिनियम वर्क & वूडेन फर्निचर इंडस्ट्री & सरकारी ठेकेदार पथर जिला मण्डी	352/20.02.22	रेत	22500	300	8.49	5%	0.425	2650	1125
7	ठाकुर एल्युमिनियम वर्क & वूडेन फर्निचर इंडस्ट्री & सरकारी ठेकेदार पथर जिला मण्डी	322/20.01.22	रेत	15000	200	5.66	5%	0.283	2650	750
8	ठाकुर एल्युमिनियम वर्क & वूडेन फर्निचर इंडस्ट्री & सरकारी ठेकेदार पथर जिला मण्डी	317/23.10.21	बोल्डर	39000	0	26.00	12.5%	3.250	1500	4875
मनरेगा										
9	ठाकुर एल्युमिनियम वर्क & वूडेन फर्निचर इंडस्ट्री & सरकारी ठेकेदार पथर जिला मण्डी	025/27.02.22	बोल्डर	64500	0	43.00	12.5%	5.375	1500	8063
10	ठाकुर एल्युमिनियम वर्क & वूडेन फर्निचर इंडस्ट्री & सरकारी ठेकेदार पथर जिला मण्डी	023/27.02.22	बोल्डर	69000	0	46.00	12.5%	5.750	1500	8625
11	ठाकुर एल्युमिनियम वर्क & वूडेन फर्निचर इंडस्ट्री & सरकारी ठेकेदार पथर जिला मण्डी	026/27.02.22	बोल्डर	33000	0	22.00	12.5%	2.750	1500	4125
12	ठाकुर एल्युमिनियम वर्क & वूडेन फर्निचर इंडस्ट्री & सरकारी ठेकेदार पथर जिला मण्डी	027/27.02.22	बोल्डर	27000	0	18.00	12.5%	2.250	1500	3375
13	ठाकुर एल्युमिनियम वर्क & वूडेन फर्निचर इंडस्ट्री & सरकारी ठेकेदार पथर जिला मण्डी	042/26.03.22	रेत	26550	450	12.74	5%	0.637	2085	1328
14	ठाकुर एल्युमिनियम वर्क & वूडेन फर्निचर इंडस्ट्री & सरकारी ठेकेदार पथर जिला मण्डी	043/26.03.22	बोल्डर	22500	0	15.00	12.5%	1.875	1500	2813
15	ठाकुर एल्युमिनियम वर्क & वूडेन फर्निचर इंडस्ट्री & सरकारी ठेकेदार पथर जिला मण्डी	053/25.04.22	बोल्डर	30000	0	20.00	12.5%	2.500	1500	3750
16	ठाकुर एल्युमिनियम वर्क & वूडेन फर्निचर इंडस्ट्री & सरकारी ठेकेदार पथर जिला मण्डी	055/25.04.22	बोल्डर	48000	0	32.00	12.5%	4.000	1500	6000
कुल योग										46490

4/2/2020 - "य"

क्र० सं०	आपूर्तिकर्ता	बिल संख्या / दिनांक	मद का नाम	भुगतान राशि	कटौती की दर	राशि
	सामान्य व अन्य अनुदान					
1	ठाकुर एल्युमिनियम वर्क & वूडेन फर्निचर इंडस्ट्री & सरकारी ठेकेदार पधर जिला मण्डी	307/15.10.21	रेत	8850	1.00%	88.50
2	ठाकुर एल्युमिनियम वर्क & वूडेन फर्निचर इंडस्ट्री & सरकारी ठेकेदार पधर जिला मण्डी	307/15.10.21	बजरी	5900	1.00%	59.00
3	ठाकुर एल्युमिनियम वर्क & वूडेन फर्निचर इंडस्ट्री & सरकारी ठेकेदार पधर जिला मण्डी	302/01.08.21	रेत	3750	1.00%	37.50
4	ठाकुर एल्युमिनियम वर्क & वूडेन फर्निचर इंडस्ट्री & सरकारी ठेकेदार पधर जिला मण्डी	302/01.08.21	बजरी	5900	1.00%	59.00
5	ठाकुर एल्युमिनियम वर्क & वूडेन फर्निचर इंडस्ट्री & सरकारी ठेकेदार पधर जिला मण्डी	302/01.08.21	रेत	8850	1.00%	88.50
6	ठाकुर एल्युमिनियम वर्क & वूडेन फर्निचर इंडस्ट्री & सरकारी ठेकेदार पधर जिला मण्डी	314/23.10.21	ईंट	5500	1.00%	55.00
7	ठाकुर एल्युमिनियम वर्क & वूडेन फर्निचर इंडस्ट्री & सरकारी ठेकेदार पधर जिला मण्डी	352/20.02.22	रेत	22500	1.00%	225.00
8	ठाकुर एल्युमिनियम वर्क & वूडेन फर्निचर इंडस्ट्री & सरकारी ठेकेदार पधर जिला मण्डी	353/05.03.2022	ईंट	40150	1.00%	401.50
9	ठाकुर एल्युमिनियम वर्क & वूडेन फर्निचर इंडस्ट्री & सरकारी ठेकेदार पधर जिला मण्डी	322/20.01.22	रेत	15000	1.00%	150.00
10	ठाकुर एल्युमिनियम वर्क & वूडेन फर्निचर इंडस्ट्री & सरकारी ठेकेदार पधर जिला मण्डी	317/23.10.21	बोल्डर	39000	1.00%	390.00
	मनरेगा				1.00%	0.00
11	ठाकुर एल्युमिनियम वर्क & वूडेन फर्निचर इंडस्ट्री & सरकारी ठेकेदार पधर जिला मण्डी	025/27.02.22	बोल्डर	64500	1.00%	645.00
12	ठाकुर एल्युमिनियम वर्क & वूडेन फर्निचर इंडस्ट्री & सरकारी ठेकेदार पधर जिला मण्डी	023/27.02.22	बोल्डर	69000		
13	ठाकुर एल्युमिनियम वर्क & वूडेन फर्निचर इंडस्ट्री & सरकारी ठेकेदार पधर जिला मण्डी	026/27.02.22	बोल्डर	33000	1.00%	330.00
14	ठाकुर एल्युमिनियम वर्क & वूडेन फर्निचर इंडस्ट्री & सरकारी ठेकेदार पधर जिला मण्डी	027/27.02.22	बोल्डर	27000	1.00%	270.00
15	ठाकुर एल्युमिनियम वर्क & वूडेन फर्निचर इंडस्ट्री & सरकारी ठेकेदार पधर जिला मण्डी	042/26.03.22	रेत	26550	1.00%	265.50

26

16	ठाकुर एल्युमिनियम वर्क & वूडेन फर्निचर इंडस्ट्री & सरकारी ठेकेदार पधर जिला मण्डी	043/26.03.22	बोल्टर	22500	1.00%	225.00
17	ठाकुर एल्युमिनियम वर्क & वूडेन फर्निचर इंडस्ट्री & सरकारी ठेकेदार पधर जिला मण्डी	053/25.04.22	बोल्टर	30000	1.00%	300.00
18	ठाकुर एल्युमिनियम वर्क & वूडेन फर्निचर इंडस्ट्री & सरकारी ठेकेदार पधर जिला मण्डी	055/25.04.22	बोल्टर	48000	1.00%	480.00
						4069.50

Detail of Shop Rent wef 01.04.21 to 21.03.2023 of GP Baridhar lot:-

Year	Opening balance	Current demand	Balance	Received	Closing balance
2021-22	0	25200	25200	25200	0
2022-23	0	25200	25200	25200	0

Sec.
Gram Panchyat Baridhar
Dev. Block Drang
Distt. Mandi (H.P.)

28

